समस्त पत्र–व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

पत्र संख्या :...../सम्ब.अनु./2018

दिनांक :.....

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ–226007

सेवा में,

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

प्राचार्य/प्राचार्या,
लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त समस्त महाविद्यालय,
लखनऊ।

महोदय/महोदया,

कृपया संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 16.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें जिसके माध्यम से वृहद वृक्षारोपण कराये जाने व आवश्यकतानुसार पौधों की मांग भी प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 16.07.2018 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि शासन के निर्देशानुसार वृहद वृक्षारोपण कराने का कष्ट करें एवं तदनुसार पौधों के लिए मांग भी निदेशालय के मेल "dhedegreeplan@gmail.com" पर मांगपत्र भी प्रेषित किया जा सकता है।

भवदीय

(रणजीत यादव)
उप कुलसचिव (सम्ब.)

संख्या : AP/17052–55 दिनांक : 30/7/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. इंचार्ज, वेबसाईट/कम्प्यूटर केन्द्र, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करने एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
4. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को अनुपालनार्थ प्रेषित ।
5. गार्ड फाईल।

(रणजीत यादव)
उप कुलसचिव (सम्ब.)

679/DR
18/7/18

अतिआवश्यक / समयबद्ध

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

17
2925

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / प्राचार्या,
राजकीय महाविद्यालय,सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
जनपद–इलाहाबाद ।

पत्रांक : डिग्री विकास/ 15006 /2018–19 दिनांक : 16-7-2018

विषय : विभागीय वृक्षारोपण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1026 / 14–5–2018 / 187 / 2018 दिनांक 12.07.2018 द्वारा वर्ष 2018–19 में वृक्षारोपण हेतु उच्च शिक्षा विभाग को कुल 7653 वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । जिसमें 6122 वृक्षारोपण का लक्ष्य दिनांक 15 अगस्त 2018 को किया जाना है । आज दिनांक 16.07.2018 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आहूत की गयी जिसमें लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत वृक्षारोपण किये जाने का निर्देश दिया गया है ।

उक्त के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न निर्धारित प्रारूप पर अपने महाविद्यालय की कार्य योजना एवं वृक्षारोपण कराये जाने हेतु कितने पौधों की आवश्यकता होगी का मॉग पत्र निदेशालय के ई–मेल dhedegreeplan@gmail.com पर दिनांक 19.07.2018 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं जनहित में अधिक से अधिक वृक्षारोपण हेतु जनता को जागरूक भी करें । सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्य हेतु टाइम लाइन, वन विभाग की पौधशालाओं से पौध विकी हेतु पौधों का मूल्य निर्धारण एवं पौधशालाओं में उपलब्ध पौधों का विवरण भी संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्नकः यथोक्त

DR GAF [illegible]

भवदीय,

डॉ0 (दिलीप कपूर)
संयुक्त निदेशक (उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
उ0प्र0, इलाहाबाद

Rep 17/7

OS (अम्बदूती)

[illegible]
18/07

वृक्षारोपण कार्ययोजना 2018 का प्रारूप

तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	स्थल का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	पौध संख्या	पौधशाला का नाम जहाँ से पौध प्राप्त की जायेगी वन विभाग/उद्यान विभाग/निजी पौधशाला	सिंचाई व्यवस्था	सुरक्षा व्यवस्था	कार्य प्रभारी का नाम, पद नाम एवं मोबाइल नम्बर	अ...
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3- गांगेय क्षेत्र (पश्चिमी)

(क) ईंधन वाली प्रजातियाँ
बबूल, ढाक, इमली, पराश, कंजी, सुबबूल, प्रोसोपिस (बिलायती बबूल), काला सिरस

(ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ
अरूं, बबूल, बेर, कचनार, लसोड़ा, नीम, काला सिरस, सुबबूल

(ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ
शीशम, जामुन,सागौन, बबूल, कंजू, नीम, आम

(घ) फलदार प्रजातियाँ
आम, इमली, बेल, आँवला, महुआ, कचना, सैंजना, कैथा, खिन्नी, लसोडा आदि

(ड) शोभाकार प्रजातियाँ
कनकचम्पा, अमलतास, कैशिया, सियामिया, अशोक, गुलमोहर, कचनार, नीम, चमेली, सेमल, मदार, जकरन्डा, कदम्ब।

4- गांगेय क्षेत्र (पूर्वी)

(क) ईंधन वाली प्रजातियाँ
अर्जुन, बबूल, इमली, कंजी, सुबबूल, बिलायती बबूल, ढाक आदि

(ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ
अरूं, बेल, बेर, धौरा, कचनार, काला सिरस, रफेट सिरस, नीम लसोडा, सुबबूल आदि।

(ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ
शीशम, सागौन, जामुन, आम, महुआ, काला सिरस, कंजू, कठ सागौन

(घ) फलदार प्रजातियाँ
आम, आँवला, महुआ, बेल, बेर, कटहल, इमली, कचनार, महुआ, सैंजन, और जामुन आदि

(ड) शोभाकार प्रजातियाँ
वह सभी प्रजातियाँ जो गांगेय क्षेत्र पश्चिमी में दी गई हैं।

5- विन्ध्य जोन

(क) ईंधन वाली प्रजातियाँ
बबूल, कधई, कन्जी, विलायती बबूल, सुबबूल, अंजन, बेर और कंकोर

(ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ
बबूल, बेल, कचनार, काला सिरस, सैंजन, अंजन

(ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ
शीशम, काला सिरस, सागौन, महुआ

(घ) फलदार प्रजातियाँ
बेल, चिरौंजी, खिन्नी, महुआ, आँवला, शरीफा

(ड) शोभाकार प्रजातियाँ
अमलतास, नीम, चमेली

परिशिष्ट-3

विभागीय वृक्षारोपण कार्यक्रम में वृक्षारोपण का विवरण

प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रोपित की जानी वाली प्रजातियों का विवरण

1- तराई-भाबर जोन

(क) ईंधन वाली प्रजातियाँ
बबूल, यूकेलिप्टस, सुबबूल और काला सिरस

(ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ
अर्जुन (टरमिनेलिया अर्जुन), अरू (आइलैन्थस इक्सेल्सा), असना (टरमिनेलिया एलाटा), बबूल, बहेड़ा, बैसी (सैलिक्स टेट्रिस्पर्मा, बकैन, धौरा, कटहल (आर्टोकार्पस हीटेरोफिलस), लसौड़ा (कार्डिया डाइकोटेमा), पूला (कीडिया कैलीसिना), कुईराल (बाहीनिया पर्पूरिया), सॉदन, सुबबूल और शहतूत

(ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ
शीशम, जामुन, पौपलर, सागौन, गम्हार (मेलायना आरबोटिया)

(घ) फलदार प्रजातियाँ
आम, आँवला, बहेड़ा, बेल, बेर, जामुन, कटहल, लसोड़ा आदि।

(ड) शोभाकार प्रजातियाँ
केशिया सियामिया, सेमल, जरूल (लेगसीट्रमिया फलासरेजाइना), अमलतास, कचनार, गुलमोहर, एल्सटोनिया (छितवन) कदम्ब।

(च) पर्यावरण प्रजातियाँ
पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर

2- तराई जोन

(क) ईंधन वाली प्रजातियाँ
बबूल, ढाक, सुबबूल, सिद्वा (लैगर्सट्रिमिया पार्वीफलोरा) प्रोसोपिस (विलायती बबूल) जामुन, काला सिरस

(ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ
अरू, बबूल, बकैन, बेर, कचनार, पूला, सुबबूल संजना, नीम, बेसी, सैलिक्स

(ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ
असना/सेन, बबूल, बांस, सागौन, शीशम, नीम, जामुन आदि

(घ) फलदार प्रजातियाँ
आँवला, बेल, इमली, कटहल, लसोड़ा, महुआ, संजना आदि

(ड) शोभाकार प्रजातियाँ
अमलतास, कैसिया, सेमल, मदार/कोरल ट्री (एरीथाइना इण्डिका), कचनार, गुलमोहर, जकरेन्डा, कदम (एन्थेसिफलस कदम्वा) सीता अशोक, नीम, चमेली, आकाश नीम, पेल्टोफोरम, अशोक, पालीएल्थिया पेन्डुला, मौलश्री (माइमूसाप्स एलेंगी)।

6- निम्न प्रजातियाँ जलमग्न क्षेत्र के लिए उपयोगी हैं (पानी कुछ महीने ही जमा रहता हो)
अर्जुन, जामुन, बैसी, गुटेल, सफेद सिरस, ढाक।

7- नदियों के किनारे पानी वाली भूमि जहाँ वर्षा में बाढ़ आ जाती है-
सफेद सिरस, पेपर मलबरी, शीशम, खैर, झाऊ, वाइटेक्स निगन्डू।

8- मेरठ, बुलन्दशहर व अन्य जिलों के खादर क्षेत्र (वह क्षेत्र जहाँ गंगा की बाढ़ में लम्बे समय के लिये पानी जमा हो जाता है, केवल वही स्थान जो ऊँचाई पर हैं वृक्षारोपण के लायक है)
कठ सागौन, ढाक, काला सिरस, सफेद सिरस, जामुन आदि

9- बीहड़ भूमि (रेवीन्स)-
विलायती बबूल (नीचे घाटियों में) नीम, जंगल जलेबी, करील, पार्किन्सोनिया, खजेड़ा, लसोड़ा

10- पथरीले क्षेत्र-
नीम, अंजन, बेर, सलाई।

11- रेतीले क्षेत्र-
बबूल, कठ सागौन, काला सिरस, नीम, शीशम, पार्किन्सोनिया, विलायती बबूल, फराश, बेर।

12- चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र-
बबूल, आकशमोनी, ढाक, असना, अर्जुन और जामुन।

13- ऊसरीले क्षेत्र-
(क) पी0एच0-9 से नीचे
काला सिरस, नीम, महुआ, आकाश मोनी, विलायती बबूल, अर्जुन, ढाक, भारी ऊसर वाले क्षेत्र।
(ख) पी0एच0-9 से ऊपर
विलायती बबूल, अर्जुन, और ढाक ही हो सकते है-वह भी तब जब पानी देने की व्यवस्था हो और मृदा को ठीक करने वाले पदार्थ जैसे जिप्सम या पाइराइट दिया गया हो।

संख्या–78 / 14–5–2016–67 / 87–टीसी०

प्रेषक,

संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

02 MA. 2016

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल, 2016

विषयः– वन विभाग की पौधशालाओं से बिकी किये जाने वाले पौधों के विक्रय मूल्य का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–जी–914 / 4–20 (विक्रय मूल्य) दिनांक 06–1–2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–293 / 14–5–2014–67 / 87–टीसी, दिनांक 16–6–2014 द्वारा पूर्व में उपर्युक्त के संदर्भ में विक्रय मूल्य निर्धारित किया गया था। तत्पश्चात पत्र दिनांक 06–1–2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से वन विभाग की पौधशालाओं से विक्रय किये जाने वाले पौधों के विक्रय मूल्य का निर्धारण निम्नवत किया जाता है :–

क्र०सं०	पौधों की श्रेणी	प्रस्तावित विक्रय दर, (मजदूरी रू० 161 / – प्रतिदिन)
1	2	3
1	एक वर्षीय पौध	
	(अ)–थैली	7.00
	(ब)–पिण्डी	16.00
2	दो वर्षीय पौध	
	(अ)–थैली	9.00
	(ब)–पिण्डी	23.00
3	शोभाकार पौध (गुलमोहर, जैकरैण्डा) अमलतास, सिल्वर ओक, पेल्टोफोरम, बोगेनविलिया आदि)	23.00
4	अतिविशिष्ट पौध (अशोका पेन्डुला, सीता अशोक, मौलश्री आदि)	45.00
5	क्लोनल विधि द्वारा उगाए गए	
	(अ)–शीशम	09.00
	(ब)–यूकेलिप्टस, पौपलर	24.00
6	हाईटेक पौधशाला में लगायी जाने वाली पौध	10.00
7	8 से 12 फीट ऊँची पौध	80.00
	नोट– 1–एक वर्षीय एवं दो वर्षीय पिण्डी पौध हेतु प्रस्तावित दरों में पिण्डी खुदान व्यय रू० 3.81 प्रति पौध सम्मिलित है। 2–अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान, उ०प्र० कानपुर ने अपने पत्रांक– 754 / पी०ओ०, दिनांक 04–1–2016 में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में जो मजदूरी की दरों में वृद्धि की गयी है वह काफी कम होने के कारण पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–293 / 14–5– 2014–67 / 87–टीसी, दिनांक 16–6–2014 द्वारा क्लोनल पौध व हाईटेक पौधशाला में उगाई जाने वाली पौध की दर को यथावत रख जाना उचित होगा।	

3438

APCCF(SF)

PCCF 27/4

01 May

28/4/16

मो० : 9452356962

2– वृहद वृक्षारोपण हेतु अधिक से अधिक पौध उठान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया जाय कि किसानों की मांग के अनुसार ही विभिन्न प्रजातियों के पौधों का उगान किया जाये।

3– उपरोक्त विक्रय दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–7–153/दस–16, दिनांक 06–4–2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव

संख्या–78(1)/14–5–2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से परिचालित करने का कष्ट करें।
4– मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6– महालेखाकार–II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7– समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9– डायरेक्टर, डिफेन्स लैण्ड कन्टोंमेन्ट मिनिस्ट्री आफ डिफेन्स, सेन्ट्रल कमान्ड, कन्टोंमेन्ट, लखनऊ।
10– समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
11– वित्त (ई–7) अनुभाग।
13– गार्ड फाइल/वन अनुभाग–5

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
विशेष सचिव

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद।
पत्रांक 4724/29–1 दिनांक, इलाहाबाद, मई 17 2016।

प्रतिलिपि–समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, इलाहाबाद को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस निर्देश से प्रेषित कि कृपया पौधशालाओं में पौधो का शासनादेश के अनुसार पौध विक्री सुनिश्चित कराये तथा समस्त वन रक्षक, वन विद, उप वन रेंजर को उपरोक्त दरो से अवगत कराये। साथ ही साथ समस्त पौधशालाओं के बोर्डो पर पौध विक्री की दरें अंकित कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि–उप प्रभागीय वनाधिकारी फूलपुर एवं इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–कार्यालय नोटिस बोर्ड।

(मनोज कुमार खरे)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग